रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3119] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2017/कार्तिक 17, 1939
No. 3119] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2017/KARTIKA 17, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2017

का.आ. 3557(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, पंजाब (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, पंजाब कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात् :--

1. श्री कुलदीप सिंह, - अध्यक्ष;
भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त),
मकान नं. 2704, सेक्टर 69,
मोहाली- 160062, पंजाब

2. डा. सुनील मित्तल, - सदस्य;
सह-आचार्य,
पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र,
केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब,
भटिंडा- 151001, पंजाब

3. विशेष सचिव, - सदस्य सचिव।
विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग,
पंजाब सरकार

2. प्राधिकरण, पंजाब के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, पंजाब ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जो उक्त अधिसूचना में प्रगणित है।

4. प्राधिकरण, पंजाब पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकन समिति (एसईएसी) की सिफारिशों के पश्चात् अपने विनिश्चय करेगी ।

5. प्राधिकरण, पंजाब को सहायता प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार के परामर्श से, केंद्रीय सरकार राज्य विशेषज्ञ आंकन समिति एसईएएस, (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईएएस, पंजाब कहा गया है) गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं, अर्थात् :--

1. श्री योगेश गुप्ता, - अध्यक्ष;
मकान नं. 535-पी,
एमसीडी, सेक्टर 6,
पंचकुला- 134109, हरियाणा

2. डा. आदर्श पाल विज, - सदस्य;
सह-आचार्य,
वानस्पतिक और पर्यावरण विज्ञान विभाग,
गुरुनानक देव विश्वविद्यालय,
अमृतसर- 143005, पंजाब

3. डा. मनप्रीत सिंह भट्टी, - सदस्य;
सह-आचार्य,
वानस्पतिक और पर्यावरण विज्ञान विभाग,
गुरुनानक देव विश्वविद्यालय,
अमृतसर- 143005, पंजाब

4. इंजी. परमिन्दर सिंह भोगल, - सदस्य;
एफआईई, मुख्य इंजीनियर (सेवानिवृत्त),
मकान नं. 623, फेज 3ए, सेक्टर 53,
मोहाली – 160059, पंजाब

5. इंजी. गुरिन्दर जीत सिंह, - सदस्य;
11, पावर कालोनी, 1, माडल टाउन,
पटियाला- 147001, पंजाब

6. इंजी. निर्मल सिंह कहलोन, - सदस्य,
441, सेक्टर 71,
मोहाली – 160071, पंजाब

7. श्री ए.के. भाटिया, - सदस्य;
क्षेत्रीय निदेशक (सेवानिवृत्त),
मकान नं. 679, सेक्टर – 8,
पंचकुला – 134112, हरियाणा,

8. डा. पवन कृष्ण, - सदस्य;
आचार्य और भूतपूर्व अध्यक्ष
औषध निर्माण विज्ञान और ओषधि अनुसंधान विभाग और भूतपूर्व संकायाध्यक्ष, औषध विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय,
पटियाला- 147002, पजाब

IndiaCode

9. डा. हरप्रीत कौर, - सदस्य;
सह-आचार्य,
प्राणि विज्ञान विभाग,
पंजाब विश्वविद्यालय,
चंडीगढ़ – 160014

10. डा. वी.के. सिंघल, - सदस्य;
वनस्पति विज्ञान विभाग,
पंजाब विश्वविद्यालय,
पटियाला- 147002, पंजाब

11. श्री के.एल. मल्होत्रा, - सदस्य;
2027-सी, ब्लाक नं. 22, सेक्टर 63,
चंडीगढ़ -160055

12. डा. संदीप एस. विर्दी, - सदस्य;
सहायक आचार्य,
पंजाब विश्वविद्यालय,
पटियाला- 147002, पंजाब

13. श्री संदीप पाल सिंह, - सदस्य;
12, वर्क सेंटर कालोनी,
राजपुरा- 140401, पंजाब

14. श्री दीपक सेठी, - सदस्य;
#5, प्रीत स्ट्रीट, लोवर माल,
पटियाला- 147001, पंजाब

15. ज्येष्ठ पर्यावरणीय इंजीनियर (मुख्यालय-2), - सचिव।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
वातावरण भवन, नाभा रोड,
पटियाला- 147201, पंजाब

6. एसईएसी, पंजाब के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. एसईएसी, पंजाब ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जो उक्त अधिसूचना में प्रगणित है।

8. एसईएसी, पंजाब सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगा और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

9. पंजाब सरकार, प्राधिकरण पंजाब और एसईएसी पंजाब के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सचिवालय, प्राधिकरण पंजाब और एसईएसी पंजाब के सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगा।

10. प्राधिकरण, पंजाब के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एसईएसी, पंजाब के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता, पंजाब राज्य सरकार के संबद्ध नियमों के अनुसरण में संदत्त होंगे।

[फा. सं. जे-11013/43/2007-आईए-II(I)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2017

S.O. 3557(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Punjab (hereinafter referred to as the Authority, Punjab) comprising of the following Members, namely: -

1. Shri Kuldip Singh, -Chairman;
 Indian Forest Service (Retired),
 House No 2704, Sector 69,
 Mohali- 160062, Punjab

2. Dr. Sunil Mittal, -Member;
 Associate Professor,
 Centre for Environment Science and Technology, Central University of Punjab,
 Bathinda -151001, Punjab

3. Special Secretary, -Member Secretary.
 Department of Science Technology and Environment,
 Government of Punjab

IndiaCode

2. The Chairman and Members of the Authority, Punjab shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

3. The Authority, Punjab shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said notification.

4. The Authority, Punjab shall take its decision after the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5.

5. To assist the Authority, Punjab, the Central Government in consultation with the State Government of Punjab, hereby constitutes the State Expert Appraisal Committee (SEAC) (hereinafter referred to as SEAC, Punjab) comprising of the following Members, namely:-

1. Shri Yogesh Gupta, -Chairman;
 House No 535-P,
 MDC, Sector 6,
 Panchkula-134109, Haryana

2. Dr. Adarsh Pal Vig, -Member;
 Associate Professor,
 Department of Botanical and Environmental Sciences, Guru Nanak Dev University, Amritsar-143005, Punjab

3. Dr. Manpreet Singh Bhatti, -Member;
 Associate Professor,
 Department of Botanical and Environmental Sciences, Guru Nanak Dev University, Amritsar-143005, Punjab

4. Er. Parminder Singh Bhogal, -Member;
 FIE, Chief Engineer (Retired),
 House No 623, Phase 3A, Sector 53,
 Mohali- 160059, Punjab

5. Er. Gurinder Jit Singh, -Member;
 11, Power Colony, 1, Model Town,
 Patiala-147001, Punjab

6.	Er. Nirmal Singh Kahlon, 441, Sector 71, Mohali-160071, Punjab	-Member;
7.	Shri A. K. Bhatia, Regional Director (Retired), House No 679, Sector -8, Panchkula-134112, Haryana	-Member;
8.	Dr. Pawan Krishan, Professor and Former Head Department of Pharmaceutical Sciences and Drug Research and Former Dean, Faculty of Medicine, Punjabi University, Patiala-147002, Punjab	-Member;
9.	Dr. Harpreet Kaur, Associate Professor, Department of Zoology, Punjab University, Chandigarh-160014	-Member;
10.	Dr. V.K. Singhal, Department of Botany , Punjabi University, Patiala-147002, Punjab	-Member;
11.	Shri K.L. Malhotra, 2027-C , Block No 22, Sector 63, Chandigarh-160055	-Member;
12.	Dr. Sandeep S. Virdi Assistant Professor, Punjabi University, Patiala-147002, Punjab	-Member;
13.	Shri Sandeep Pal Singh, 12, Work Center Colony, Rajpura-140401, Punjab	-Member;
14.	Shri Deepak Sethi, #5, Preet Street , Lower Mall, Patiala-147001, Punjab	-Member;
15.	Senior Environmental Engineer (HQ-2), Punjab Pollution Control Board, Vatavaran Bhawan, Nabha Road, Patiala-147201, Punjab	-Secretary.

6. The Chairman and Members of SEAC, Punjab shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

7. The SEAC, Punjab shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said notification.

8. The SEAC, Punjab shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of Punjab shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Punjab and SEAC, Punjab and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all the statutory functions of the Authority, Punjab and SEAC, Punjab.

10. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Punjab and SEAC, Punjab shall be paid as per the rules of the State Government of Punjab.

[F. No. J-11013/43/2007-IA-II (I)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.11.09 22:24:54 +05'30'